न्यायालय भू - प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा - पत्र

उनवान

जगदीशप्रसाद बनाम राजाराम

किस्म मुकदमा धारा 225 मि0 नं0 87/2019 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट श्री सी.पी. खंडेलवाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18-12-2020	पत्रावली कैम्प कार्यालय पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगवाई गई कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हो। (महेन्द्र लोढ़ा) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज०)	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालयः— भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा

अपील/टी0ए0/ /19/झालावाड़

1— जगदीशप्रसाद आ0 किशनलाल जाति मीणा निवासी आलोदा

2— धनराज आ0 किशनलाल जाति मीणा निवासी आलोदा

3— नन्दराम आ0 किशनलाल जाति मीणा निवासी आलोदा

~~4— राजेन्द्र आ0 किशनलाल जाति मीणा निवासी आलोदा~~ तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान — अपीलार्थीगण

बनाम

1— राजाराम आ0 बिरधीलाल आयु 42 वर्ष जाति मीणा निवासी चॉदपुरा चपलाड़ा

2— श्रवणकुमार आ0 बिरधीलाल जाति मीणा निवासी चॉदपुरा चपलाड़ा

3— मोरध्वज आ0 बिरधीलाल जाति मीणा निवासी चॉदपुरा चपलाड़ा

4— कृष्णगोपाल आ0 बिरधीलाल जाति मीणा निवासी चॉदपुरा चपलाड़ा

5— रमेशबाई आ0 बिरधीलाल जाति मीणा निवासी चॉदपुरा चपलाड़ा
तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान

6— शाखा प्रबंधक एस बी आई बैंक ,शाखा खानपुर झालावाड़

7— राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार खानपुर

8 - राजेन्द्र आ. किशनलाल मीणा नि. आलोदा — प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर दिनांक 10.10.2019
प्रकरण संख्या 425/प्रार्थनापत्र/2019 उनवान राजाराम बनाम जगदीशप्रसाद में पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंघव ने पारित किया।
अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मान्यवर,

अपीलार्थीगण निम्न अपील पेश करते हैंः—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः—

निवेदन है कि प्रार्थीगण प्रत्यर्थीगण संख्या 1 कम 5 ने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर यह प्रविवरण दर्ज करते हुए कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते कब्जे काश्त की की आराजी पर आकर जबरन कब्जा करने की धमकी दी इस कारण अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की आराजी में दखलदांजी करने से रोका जावे , अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर अपने जवाब में बताया कि प्रार्थनापत्र किसी कब्जे के संबध में प्रथम दृष्ट्या है न ही किसी विधिनुसार हक के संबंध में ही प्रथम दृष्ट्या है अपितु वादीगण का वाद विधि से सहित (Disability) है जिसके संबंध में वादपत्र के चरणकम 1 में दिए गए विवरण के अनुसार बेचान आराजी 5 बीघा 18 बिस्वा के संबंध में भारतीय करार अधिनियम 1872 की धारा 10 के तहत वैधानिक करार निष्पादन होने से ,संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 विधिवत संपत्ति अंतरण से ,भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 110 के अनुसार विधिवत कब्जा होने से कब्जाधारी को स्वामित्व मानने की उपधारणा से , भारतीय मर्यादा अधिनियम 1908 की धारा 27 के अनुसार कब्जे की